

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21B

[See rule 11 (1)]

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Bihar(State) by the elected members of Legislative Assembly.

In pursuance of the provisions contained in sub-section(2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that —

Smt. Rozina Nazish (Name), Road No.-2, Shantibagh, New Karimganj, P.S.- Gaya(Civil Line), P.O. & Dist. Gaya, Pin-823001 (Address), sponsored by Janata Dal [United] (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sh. Tanveer Akhtar.

Place: PATNA

Date: 27.09.2021



Lian
27/9
(Sanjay Kumar Agrawal, I.A.S)
Returning Officer
Bye-Election to the Bihar
Legislative Council, 2021

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप 21ख
[नियम 11(1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार (राज्य) विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार(राज्य) विधान परिषद के
लिए निर्वाचन:

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* से अन्तर्विष्ट उपबन्धों के
अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्रीमती रोजीना नाजिश (नाम), सोड नं०-2, शान्तिबाग, न्यू करीमगंज, थाना-गया
(सिविल लाईन), पो० एवं जिला-गया, पिन-823001 (पता), जो जनता दल (यूनायटेड)
(मान्यता प्राप्त/संविद्ध राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई हैं, उस सदन में श्री
तनवीर अख्तर की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई
हैं।

स्थान - पटना
दिनांक - 27.09.2021



Lian
27/9
(संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०)
निर्वाची पदाधिकारी,
बिहार विधान परिषद का उप निर्वाचन, 2021